कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

email :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 1472/36 सी0 दिनांक 21/11/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 के ग्राम कुश व कुशमहादेव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.753 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No FP/UK/ROAD/10617/2015)

सन्दर्भः– सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/195/2015/एफ0सी0 दिनांक 31/12/2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के कार्या0 पत्रांक 4662/12–1, दिनांक 23/04/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम मे सादर अवगत कराना है कि परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 के ग्राम कुश व कुशमहादेव मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव विधिवत स्वीकृति के लिए प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिस पर उनके द्वारा दो बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी। जो कि निम्नवत है–

1. उक्त क्रम में आपको अवगत कराना है कि कार्य करने के दौरान ठेकेदार ने उस समरेखण का अनुसरण किया जिसमें पेड़ों का छपान व कटान हुआ था, इसलिए वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का उल्लंघन विभाग एवं ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। संयोगवश स्वीकृत के0एम0एल0 समरेखण एवं वास्तविक मार्ग निर्माण में कुछ भिन्नता हो सकती है।

क्योंकि उक्त मोटर मार्ग निर्मित हो चूका है, तो जनहित, वनहित एवं सरकारी धन के उपयोग हित में यह उचित होगा कि निर्मित मार्ग को नियमित कर लिया जाए तथा के0एम0एल0 द्वारा प्रस्तावित समरेखरण को वन भूमि में समलित करते हुए विधिवत स्वीकृत की प्रकिया कर ली जाय। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी संस्तुति की जाती है। अन्यथा पुनः नई जगह मार्ग निर्माण में वन भूमि कटेगी, जिससे दोहरा धन व्यय होगा और देर से जनता को लाभ मिलेगा।

2. दूसरे बिन्दु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित करने की कार्यवाही वन विभाग के स्तर से होनी है।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
थराली।

पत्रांक /36सी0 / /2025

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहारादून को सादर प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता नि0ख0,लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः– खण्डीय अमीन/कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
थराली।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

email :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 1472 / 36 सी0 दिनांक 21/11/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 के ग्राम कुश व कुशमहादेव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.753 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Proposal No FP/UK/ROAD/10617/2015)

सन्दर्भः– सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 195 / 2015 / एफ0सी0 दिनांक 31 / 12 / 2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के कार्या0 पत्रांक 4662 / 12–1, दिनांक 23 / 04 / 2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम मे सादर अवगत कराना है कि परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 के ग्राम कुश व कुशमहादेव मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव विधिवत स्वीकृति के लिए प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिस पर उनके द्वारा दो बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी। जो कि निम्नवत है–

1. उक्त क्रम में आपको अवगत कराना है कि कार्य करने के दौरान ठेकेदार ने उस समरेखण का अनुसरण किया जिसमें पेड़ों का छपान व कटान हुआ था, इसलिए वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का उल्लंघन विभाग एवं ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। संयोगवश स्वीकृत के0एम0एल0 समरेखण एवं वास्तविक मार्ग निर्माण में कुछ भिन्नता हो सकती है।

क्योंकि उक्त मोटर मार्ग निर्मित हो चूका है, तो जनहित, वनहित एवं सरकारी धन के उपयोग हित में यह उचित होगा कि निर्मित मार्ग को नियमित कर लिया जाए तथा के0एम0एल0 द्वारा प्रस्तावित समरेखरण को वन भूमि में समलित करते हुए विधिवत स्वीकृत की प्रक्रिया कर ली जाय। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसकी संस्तुति की जाती है। अन्यथा पुनः नई जगह मार्ग निर्माण में वन भूमि कटेगी, जिससे दोहरा धन व्यय होगा और देर से जनता को लाभ मिलेगा।

2. दूसरे बिन्दु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित वन / संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित करने की कार्यवाही वन विभाग के स्तर से होनी है।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
थराली।

olc

पत्रांक 1472 / 36सी0 21 / 11 / 2025

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहारादून को सादर प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता नि0ख0,लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः– खण्डीय अमीन / कनिष्ठ अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

olc

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0,लो0नि0वि0
थराली।